भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3899

जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2021 को दिया जाना है

परमाणु प्रौद्योगिकी से विद्युत उत्पादन

3899. डॉ. मनोज राजोरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करके घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई;

(ख) अब तक किन देशों के साथ भारत ने असैन्य परमाणु करारों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) भारत का निकट भविष्य में असैन्य परमाणु करारों पर किन-किन देशों के साथ हस्ताक्षर करने का विचार है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) नाभिकीय विद्युत 24X7 उपलब्ध आधारित भार ऊर्जा का स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है । सरकार की नाभिकीय विद्युत से बढ़ते हुए विद्युत उत्पादन हेतु देश में नाभिकीय विद्युत के स्थापित क्षमता आधार को बढ़ाने की योजना है । वर्तमान में 6780 MW की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालनरत हैं और एक रिएक्टर, केएपीपी-3 (700 MW) दिनांक 10 जनवरी 2021 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है । 8000 MW की कुल क्षमता वाले दस (10) नाभिकीय विद्युत रिएक्टर (भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड {भाविनी} द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे 500 MW पीएफबीआर सहित) निर्माणाधीन हैं । इसके अतिरिक्त, सरकार ने शीघ्रगामी प्रणाली (फ्लीट मोड) द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रत्येक 700 MW के दस (10) स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है । निर्माणाधीन और मंजूरी संस्वीकृत परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, नाभिकीय क्षमता वर्ष 2031 तक 22480 MW पहुंचने की आशा है । अधिक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की भी भविष्य में योजना है ।

(ख) अब तक, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए निम्नलिखित सत्रह (17) देशों : अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चेक गणराज्य, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जापान, कज़ाख्स्तान, मंगोलिया, नामीबिया, कोरिया गणराज्य, रूस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं वियतनाम के साथ अन्तर-शासकीय करार (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ग) सरकार का प्रस्ताव, निकट भविष्य में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के लिए घाना के साथ अन्तर-शासकीय करार (आईजीए) पर हस्ताक्षर करने का है ।

* * * * *